संख्या- 23/747/बयालिस-2016-243(निर्माण)/2014

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 10 मई, 2016**

विषय- जनपद बाराबंकी में के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम, बाराबंकी में छात्रावास क्रिकेट पिच व बास्केटबाल कोर्ट के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 14/नि0 बाराबंकी स्टे0 पत्रा0/2015-16, दिनांक 11 अप्रैल, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या- 27/11/बयालिस-2015-243(निर्माण)/2014, दिनांक 30 मार्च, 2015 एवं शासनादेश संख्या- 2456/बयालिस-2015-243(निर्माण)/2014, दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 के क्रम में प्रशासकीय स्वीकृति रू0 912.00 लाख के सापेक्ष रू0 300.00 लाख निर्गत करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष- 2016-17 में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 612.00 लाख (रू0 छः करोड़ बारह लाख मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)- प्रायोजना अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि रू0 612.00 लाख (रू0 छः करोड़ बारह लाख मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- प्रायोजना में निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

(3)- प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाते/डाक घर/डिपाजिट खातें नहीं रखी जायेगी।

(5)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्हीं अन्य कार्यों/मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(6)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन न हो अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7)- शासनादेश संख्या- 27/11/बयालिस-2015-243(निर्माण)/2014, दिनांक 30 मार्च, 2015 एवं शासनादेश संख्या- 2456/बयालिस-2015-243(निर्माण)/2014, दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2016-17 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-58-के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम, बाराबंकी में डॉरमेट्री बास्केटबाल कोर्ट का निर्माण एवं अन्य सुविधाओं का विकास-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहें है।

भवदीया,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

संख्या- 23/747(1)/बयालिस-2016-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी फैजाबाद/क्रीड़ाधिकारी, बाराबंकी।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(7)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(8)- नियोजन अनुभाग- 4
(9)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in